



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012020-215546  
CG-DL-E-18012020-215546

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230]  
No. 230]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2020/पौष 27, 1941  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2020/PAUSHA 27, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2020

**का.आ. 241(अ).**—जबकि केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना [का.आ. 2531(अ), दिनांकित 25 जुलाई, 2017] के द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327ई के किमी 00.000 से किमी 75.000 तक खंड को बिहार सड़क निर्माण विभाग, बिहार को सुपुर्द कर दिया है।

अतः अब, केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात “नियम” कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 327ई के डिजाइन किमी 00.000 से किमी 75.000 तक गलगलिया से हरवा चौक खंड के प्रयोग के लिए निम्नलिखित तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस 72.600 किमी की निवल सड़क खंड लंबाई के लिए (पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग हेतु) आधार दर के 60% और 2.300 किमी की निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तथा 1.000 किमी (0.100 किमी लंबाई वाले) समतुल्य लंबाई की संरचना (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) के लिए आधार दर के 100% की दर से तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर से उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच सी एम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एम ए वी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथ कर प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु पथकर प्लाजा पर देय और संदेय होगी, अर्थात्:-

तालिका-2		
पथ कर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है।
बिहार राज्य के किशन गंज जिले में खईखाट गांव के निकट रारा-327ई के किमी/चैनेज 39.500 पर	72.6 किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए आधार दरों का 60%
	2.3 किमी [60 मी से अधिक लंबाई वाली संरचना लंबाई को छोड़कर]	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित चार लेन के आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं* की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर फीस संदेय है
बिहार राज्य के किशनगंज जिले में खईखाट गांव के निकट रारा-327ई के किमी/चैनेज 39.500 पर	0.100*	1.00किमी	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित चार लेन के आधार दरों का 100%

\*ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	चैनेज		संरचनाओं का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		0.0878
1	किमी 10+367	किमी 10+467	आर ओ बी	0.100 किमी
<b>जोड़</b>				<b>0.100 किमी</b>

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किमी तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2019-20 के लिए मासिक पास की दर 265.00 रु. (दो सौ पैसठ रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

**तालिका-4**

भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के लिए उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1क में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हक दार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. उक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा तथा उसे तदनुसार अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 395.82 करोड़ रु. है। [पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है क्योंकि भूमि अधिग्रहण, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरा किया जाना शेष है। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा]। प्राप्त होने वाली प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और उक्त नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/पीएटी/एनएच/टोल/2019-4]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th January, 2020

**S.O. 241(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways [number S.O. 2531(E), dated the 25<sup>th</sup> July, 2017] issued under Section 5 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 00.000 to kilometer 75.000 of National Highway No. 327E in the State of Bihar to the State Road Construction Department Bihar;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 at 60% of the base rate for net road section length of 72.600 km (for the use of two lane with paved shoulders) and at 100% of the base rate for net road section length 2.300 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 1.000 km (having length of 0.100 km) (for the use of four lane section) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Galgalia to Harwa Chowk from design kilometer 00.000 to kilometer 75.000 of National Highway number NH-327E in the State of Bihar and authorizes the National Highway Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

<b>Type of vehicle</b>	<b>Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)</b>
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

- The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

**Table-2**

<b>Location of Fee Plaza (chainage)</b>	<b>Length (in km) for which Fee is payable</b>	<b>Rate at which fee is payable</b>
At Km/Ch. 39.500 of NH-327E near Khaikhat Village in Kishanganj district of State Bihar	72.6 km	60% for two lane lane with paved shoulders mentioned in Table-1 above
	2.3 km (Excluding length of structure having length more than 60m)	100% for four lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:-

<b>Table-3</b>			
<b>Location of Fee Plaza (chainage)</b>	<b>Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length</b>	<b>Equivalent road length (in km)</b>	<b>Rate at which fee is payable</b>
At Km/Ch. 39.500 of NH-327E near Khaikhat Village in Kishanganj district of State Bihar	0.100*	1.00 Km	100% for 4 lane of the base rates mentioned in Table-1 above

\*The details are as under:-

	<b>Chainage</b>		<b>Type of Structure</b>	<b>Length (in km)</b>
	<b>From Km</b>	<b>To Km</b>		
1	Km.10+367	Km.10+467	ROB	0.100Km
<b>Total</b>				<b>0.100Km</b>

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 265 (Rupees Two Hundred Sixty Five Rupees) for the year 2019-2020 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

<b>Table-4</b>		
<b>Amount Payable</b>	<b>Maximum number of one way journeys allowed</b>	<b>Period of validity</b>
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highway Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 395.82 crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highway Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RW/PAT/NH/TOLL/2019-4]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.